IV 61/2016

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDI

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 201578

शिवनन्द स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट

ग्राम–ताजोपुर

तहसील –सदर जनपद–मऊ।

न्यास विलेख (INSTRUSMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 12.04.2016 को मऊ में श्री प्रभुनाथ सिंह पुत्र स्व0 नन्दकिशोर सिंह द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यास कर्ता/संस्थापक पर रू0 10001.00 (दस हजार एक रूपये मात्र) की धनराशि है जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यास कर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है जो कि उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट शिवनन्द स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यास कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप में सफल हो सके।

क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपये रू0 10001.00 (दस हजार एक रूपये मात्र) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यालय ग्राम + पोस्ट ताजोपुर, तह0 सदर, जनपद– मऊ रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान

(01)

क्र० ① कीमत 100 प्रभुनाथ सिंह S/O स्व० नन्द किशोर सिंह ग्रा० लोनापुर तह० सदर जनपद मऊ

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
लाइ०नं०114 तह० सदर-मऊ

STAMP
JUN 2016
S.T.O.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 701579

मिलने पर व मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार निम्न प्रकार धारावद्ध एवं घोषित किया जाता है।

स्मृति पत्र

न्यास (ट्रस्ट) का नाम – शिवनन्द स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट

न्यास (ट्रस्ट) का पता – ग्राम– ताजोपुर, तह0 सदर
जनपद– मऊ

न्यास (ट्रस्ट) का उद्देश्य :–

1. बालक एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक/माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. समाज के सभी आयु,वर्ग या समुदाय के लोगों को योग एवं ध्यान व वास्तु व ज्योतिश विद्या की शिक्षा प्रदान करना।
3. मद्य निषेद्य,प्रौढ़ शिक्षा एवं दहेज सम्बन्धी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
4. बालक/बालिकाओ/महिलाओं को आवासीय/अनावासीय कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना ।
5. पशुपालन,मत्स्य पालन की योजनाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा मानव कल्याण के लिए उस क्षेत्र मे काम करना ।
6. विकलांग तथा बृद्धों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करना।

कु० (2) कीमत 100 ग्रा० नं० (1)

(82)

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार [illegible] स्टाम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ

STAMP
JUN 2016
Sr.T.O.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 635044

7. अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर संचालित करना और अल्पसंख्यकों को निःशुल्क मार्गदर्शन करना।
8. समाज कल्याण,महिला एवं बाल विकास की विभिन्न प्रकार की आवश्यकतानुसार योजनाओं की स्वीकृत प्राप्त कर क्षेत्र विशेष में आवश्यकतानुसार संचालित करना।
9. सांस्कृतिक कार्य विभाग,पर्यावरण विभाग एवं चिकित्सा विभाग के कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना।
10. संस्था द्वारा खादी बोर्ड/आयोग द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना तथा संस्था की चल/अचल सम्पत्ति बंधक तथा हाईपोथिकेशन आदि की व्यवस्था करना।
11. संस्था द्वारा महिलाओं के उत्पीडन को रोकने के लिए जागरूकता शिविर लगाना उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी परामर्श देना ।
12. संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना और ग्राम विकास विभाग सम्बन्धी योजनाओ का संचालन करना ।
13. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा सम्बन्धित विभाग से संचालित की जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर क्षेत्र विशेष को आवंश्यकतानुसार संचालित करना।
14. खादी बोर्ड द्वारा अनुदान तथा ऋण आदि की व्यवस्था करना, धर्मशाला,अनाथालय तथा निःशुल्क चिकित्सा आदि के प्रचार–प्रसार के लिए शिविर आदि का आयोजन करना ।
15. समाज के साधन विहिन बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन तथा

(02)

क्र० (3) कीमत 50 प्रभुनाथ सिंह S/O स्व० नन्द किशोर सिंह सा० तातोपुर तह० सदर जनपद गा...

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टैम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-गाज़

14 JUN 2016

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 635045

ग्रामोद्योग आयोग के योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करना व स्थापित उद्योग से उत्पादन एवं बिक्री करना इससे होने वाले लाभों को चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

16. सरकारी,गैर सरकारी,प्राईवेट संस्थाओं से ऋण,अनुदान,दान,चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के विकास में लगाना।

17. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर,कम्प्यूटर साफ्टवेयर,इण्टरनेट साइबर कैफ,सिलाई,कढ़ाई,बुनाई,तकनीकी,कुटीर,शिल्पकला,हस्तशिल्पकला,काष्ठकला, कम्प्यूटर,टंकण,आशुलिपि,इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरी,कढ़ाई, कालीन बुनाई,दरी बुनाई,संगीत–नाट्य,वाद्य कला,नृत्य,मोटर ट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, ब्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए.सी. रेफिजरेशन,फैशन डिजाइनर,एक्सरे,टेक्नीशियन,लैब,पैथालोजिस्ट,मोबाइलरिपेयरिंग,मासकम्युनिकेशन,साफ्टट्वायज,नृत्यथियेटर,माडलिंग,पेंटिंग,आई0टी0आई0,पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

18. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च्य स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों,महाविद्यालयों,आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों,संस्कृत विद्यालयों,बौद्ध विद्यालयों,हरिजन विद्यालयों,अम्बेडकर विद्यालयों,उर्दू अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू,बंगाली,मराठी,अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों,प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों,अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,ऑगनबाड़ी,बालबाड़ी,पुष्टाहार योजनाओं,सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों,चरवाहा विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

क्र० (4) कोषागार 50 श्राप नं० (3)

(04)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016

अनिल कुमार सिंह स्टैम्प वेण्डर
लाइसेंस 114 [illegible]

दि० 14 JUN 2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 635046

19नि:शुल्कपुस्तकालयों,वाचनालयों,क्रीड़ास्थलों,छात्रावासों,अनाथालयों,वृद्धाश्रगों,विधवाश्रमों नारी निकेतनों,वाल संरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओ आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

20. गरीब,हरिजन विकलांग,मेधावी,निराश्रित,असहाय,मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों,बाल श्रमिको को नि:शुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्राओं की व्यवस्था करना।

21. बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हे शिक्षित करने का प्रयास करना तथा वंधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हे तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार मे स्थापित करने का प्रयास करना।

22. विकलांगों को नि:शुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना ।

23. मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मकतबों, तहतानियां, फौकानियां, आलिया, हाफिज, कारी, मुंशी मौलवी,कामिल,आलिम,फाजिल,मुफ्ती निस्वॉं मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

24. मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के नियमानुसार अल्पसंख्यक विद्यालय,महिला विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र–छात्राओ को शिक्षित करने का प्रयास करना मजहबे इस्लाम की तबलीग करना।

25 पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन,वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु

क्र० (5) कीमत 50 क्रम० नं० (2)

(05)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
लाइ०नं०114 तह० सदर-मऊ

कोषागार मऊ
स्टाम्प
दि० 14 JUN 2016
C.C. मऊ
Sr.T.O. मऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 635047

मवेशी खानों,पशु अस्पतालों,प्रदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

26. केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0 ,सिडनी, अवार्ड,कपार्ट, नवार्ड, नौराड, डूडा,सूडा,ड्वाकरा अम्बेडकर ग्राम,समग्र ग्राम,स्वर्ण जयन्ती,स्वरोजगार स्वजलधारा,सिप्सा,नरेगा व मनरेगा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना तथा बिजली विभाग संचालित योजना बिल/चार्ज कलेक्शन को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करना ।

27. बालक/बालिकाओ,कलाकारों, के शारीरिक,बौद्धिक,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों,गोष्ठियों,प्रदशर्नियो आदि का आयोजन,संचालन करना, सफल बालक/बालिकाओं,कलाकारों को पुरस्कृत करना नेहरू युवा कल्याण योजनाओ को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

28 भारत सरकार,प्रदेश सरकार, जिला,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन,विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

29. वाटरशेड एसोसियेशन/जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

30. मातृ शिशु कल्याण योजनाओ को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह नसंबदी शिविरों,टीकाकरण शिविरों,पल्सपोलियों,शिविरों,दवाखानों,चैरिटेबुल अस्पतालों,

क्र० (6) कीमत 50 स्टा० नं० (3)

(06)

अनिल कुमार सिंह

14/7/2016

अनिल कुमार सिंह स्टैम्प वेन्डर

लाइ०नं०114 तह० सदर-मऊ

14 JUN 2016

Sr.T.O.

मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 791877

एड्स असंसता,कुष्ठ अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

31. कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती,अगरबत्ती,दियासलाई,वाशिंग पाउडर,ब्लीचिंग पाउडर,साबुन,अचार,मुरब्बा,चिप्स,चाकलेट,नमकीन,बिस्कुट,नील,चाय,कागज की कप,प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

32. समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा,दहेज,बाल विवाह,नशा,शराब,गॉजा,अफीम,भांग,तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों का नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करेगा ।

33. गॉवो का विकास करना तथा गांवों में निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,सफाई,पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

34. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0सी0आर0ए0की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन करना ।

35. कस्तूरबा गॉधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओ की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना तथा मिड–डे–मिल योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

(07)

क्र० ⑦ कीमत 20, प्रभुनाथ सिंह S/o स्व० नन्द किशोर सिंह सा० ताजोपुर तहसील सदर जनपद मऊ

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०-7/114 तह० सदर-मऊ

कोषागार मऊ
स्टाम्प
09 FEB 2016
C.O. — S.T.O.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 791878

36. समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी0एड0.बी0पी0एड0.सी0पी0एड0.बी0टी0सी0 आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना।

37. दैवी आपदा यथा बाढ़ सूखा,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तुफान,आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन,दवा–इलाज आवास,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।

38. वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना,उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना,देश मे आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार –प्रसार हेतु अतिरित्क्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिाक ऊर्जा विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना ।

39. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

40. स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।

41. स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व परीक्षण करना एवं समय–समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण,हत्या को रोकने का प्रयास करना ।

क्र० (5) कीमत २० ,स्टा० नं० (7)

कोषागार मऊ
स्टाम्प 3
09 SEP 2015
C.C. Sr.T.O.

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

42. सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने मे सहयोग प्रदान करना ।

43. मेडिकल कालेज,पैरामेडिकल कालेज,नर्सिंग होमों, फार्मेसी, पैथलाजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमिट्री, कार्डियोलाजी सी0टी0/एम0आर0आई0.,आडियों, मीटरी, इक्यूपमेण्ट,मेन्टेन्स, हास्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, ओ0टी0टेक0, ए0एन0एम0, जे0एन0एम0,इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर आदि प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

44. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कुष्ठ,मलेरिया,काला आजार,डेंगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस,फाइलेरिया,क्षय रोग जनित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम,राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय संचारी विभिन्न प्रकार के रोग,निगरानी कार्यक्रम,कैंसर,टी0वी0चेचक,गिनी,कृमि,याज आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षण करना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

45. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों,आई0 सी0 एस0ई0 विद्यालयों,इन्दिरा गांधी मुक्त विश्व विद्यालयों,फार्मेसी–कालेजों,मेडिकल कालेजों,इंजीनियरिंग कालेजों,संस्कृत महाविद्यालय आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

46. स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण मे सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा,इक्यूप्रेशर, एल्योपैथिक,

कि० (१) कीमत 20, शा० नं० (7)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेन्डर
ला०नं०114 ख०० सदर-गढ़

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 771880

योगा एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

47. अल्पसंख्यकों के लिए अंग्रेजी माध्यम से स्कूल,कालेज,मेडिकल कालेज,इंजीनियरिंग कालेज,उर्दू,अरबी,विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रयास करना ।

48. इग्नो पी०टी०यू०, यू०पी०टी०यू०–दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार संस्थान, कनार्टक विश्वविद्यालय, आन्ध्र विश्वविद्यालय, तमिलनाडु विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन,मुक्त विश्वविद्यालय,पूर्वांचल विश्वविद्यालय आदि से सम्बद्धता प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के पार्ट टाईम,फूल टाईम,रेगुलर तथा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करना तथा इनके द्वारा बी०ए०,एम०ए०,बी०बी०ए०,एम०बी०ए०,एम०सी०ए०,एम०बी०बी०एस० जैसे आदि टेक्निकल व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करना व नियंत्रित करना।

49. निजी विश्वविद्यालयों की देशहित में राज्य व केन्द्र सरकार के मंजूरी व नीतियों के अनुसार स्थापना करना तथा मान्यता प्राप्त कर देश में स्थापित विश्वविद्यालयों की रिजनल कोआर्डिनेटिंग करने का प्रयास करना।

50. गरीबो के सामहिक वैवाहिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

51. कृषि मे जैविक एवं वनस्पतिक खादों का विकास करना ।

52. समाचार पत्रों,अनुसंधानिक पत्रों का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।

53. समाज मे मानसिक एवं चारित्रिक विकास हेतु कार्य करना ।

54. सम्पूर्ण भारत में ठीकेदारी या अन्य प्रकार से सिविल वर्क करना।

क्र० 10 कीमत 20 स्टा० नं० 7

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
[illegible] 114 [illegible]

कोषागार [illegible]
[illegible]
09 [illegible] 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56. मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की सम्पत्ति व भूमि का क्रय–विक्रय कर सकता है।

और यतःएवं अब इस न्यास विलेख की स्वेच्छा एवं इस सद्‌विचार से निष्पादित किया जाता है।

अतः इस प्रकार यह न्यास विलेख निम्नलिखित रूप में विलिखित किया जाता है–

1. यह कि संस्थापक जो उपरोक्त धनराशि रू0 10001/– (दस हजार एक रुपये मात्र) जिसका कि वह पूर्ण स्वत्वाधिकारी है। उसे यहॉं न्यास के अनन्य रूप से व्ययन हेतु हस्तान्तरित एवं अनुदानित करता है,जिसे न्यासीगण होने के लिए और विशेष रूप से उपरिवर्णित प्रयोजन एवं उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान करते है। न्यासी उपरिवर्णित उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु इस न्यास निधि का समुचित उपयोग एवं उपभोग करेगें। संस्थापक यहॉं आज की तिथि से हमेशा के लिए उक्त सम्पत्ति से प्रत्येक दावें तथा हक का त्यजन करता है।

2. यह कि उपरोक्त धनराशि रू0 10001/– (दस हजार एक रूपये मात्र)न्यास की सम्पत्ति एवं कार्य होगी। जो यहॉं न्याय सम्पत्ति के नाम से जानी जाएगी। 'न्यास सम्पत्ति' के नाम से जानी जाएगी। 'न्यास सम्पत्ति' के अर्थ में उपरोक्त धनराशि रू0 10001/– (दस हजार एक रूपये मात्र) सम्मिलित होगा। इसके अतिरिक्त भी इनके अन्तर्गत न्यास द्वारा परिवर्धित अनुवृद्धिक और अर्जित किसी तरह की कोई भी सम्पत्ति निहित होगी या किसी अन्य स्रोत से विधतः उपार्जित सम्पत्ति भी 'न्यास सम्पत्ति' की कही जाएगी।

क्र० (11) कीमत 20 वाठ नं० (7)

(11)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2011

अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०नं० 114 त०० सदर-मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 711802

3. यह कि न्यास का मुख्यालय ग्राम ताजोपुर, तहसील सदर, जनपद– मऊ होगा । न्यासी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह समय–समय पर मुख्यालय जहाँ चाहे वहाँ स्थानान्तरित कर सकते है, और भारत के किसी भी स्थान पर उपरोक्त न्यास के नाम से कार्यालय या शाखा खोल सकते है।

4. न्यास के उद्देश्य हेतु **शिवनन्द स्मारक वेलफेयर ट्रस्ट** के नाम से प्रचार एवं प्रसार सम्पूर्ण भारत मे होगा ।

5. न्यासीगण उपरोक्त न्यास सम्पत्ति पर अपना धरणाधिकार रखने हेतु अधिकृत किए जाते है।

(अ) न्यासीगण, सम्पत्ति के अधिशेष,ब्याज,लाभांश और आय प्राप्त करेगें,और अन्य न्यास कार्य हेतु व्ययन करेगें,जो न्यास के हित में होगा ।

(ब) न्यासीगण,न्यास सम्पत्ति के अधिशेष,ब्याज,लाभांश या अन्य आय से अदायगी और न्यासी ऐसे इच्छित हो कि न्यास हित में न्यास सम्पत्ति के कार्य या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्य के प्रयोजन हेतु खर्च करता है, न्यासी को न्यास के प्रयोजन में सम्पूर्ण भारत में न्यास सम्पत्ति अर्जित करने एवं खर्च करने का अनन्य एवं स्वविवेकाधिकार होगा जिसे वह उचित समझते हो।

(स) बिना किसी पूर्वाग्रह के सामान्य तथा वर्णित खण्डों मे यह यहाँ घोषित किया जाता है कि न्यासी उपरोक्त न्यास की उद्देश्य पूर्ति हेतु न्यास सम्पत्ति उपार्जित,आय का उपयोजन,उपभोग या भुगतान के अधिकारी होगें और न्यास के उद्देश्य के पूर्ति में स्थापना सनिर्माण अर्जन,पोषण,उन्नयन अग्रसारण,परिचालन,समर्थन करने मे न्यासीकरण का स्वविवेकाधिकार होगा ।

क्र० (12) कीमत 20 शाप नं० (7)

(12)

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार मऊ
स्टाम्प

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टैम्प वेन्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 771805

(1) न्यास की सम्पत्ति न्यासी में संमाहित होगी जो न्यास के सद्‌देश्य के पूर्ति में प्रबन्धन एवं पोषण हेतु रखेगें, जो यहाँ वर्णित शर्तो एवं निबन्धनों के खर्च उपयोग एवं व्यवधान करेगें।

(2) यहाँ 5 से कम एवं 6 से अधिक न्यासी सदस्य नही होगें जिसे न्यास परिषद नाम से जाना जायेगा परिषद का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा गठित किया जाता है।

1. श्री प्रभुनाथ सिंह पुत्र स्व0 नन्दकिशोर सिंह (अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी)
निवासी – ताजोपुर
तह0–सदर, जनपद– मऊ

2. डा0 संगीता सिंह पत्नी श्री जयप्रकाश सिंह (उपाध्यक्ष)
निवासी–ग्राम शम्भूपुर
तह0–बुढ़नपुर, जनपद– आजमगढ़

3. पलक सिंह पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह (सचिव)
निवासी – ताजोपुर
तह0–सदर, जनपद– मऊ

4. सुषमा सिंह पत्नी श्री प्रभुनाथ सिंह (कोषाध्यक्ष)
निवासी – ताजोपुर
तह0–सदर, जनपद– मऊ

5. देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र प्रभुनाथ सिंह (सदस्य)
निवासी–ताजोपुर
तह0–सदर, जनपद– मऊ

क्र० (13) कीमत 20 रुपए नं० (7)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टैम्प वेण्डर
ला०नं० 14 तह० सदर-मऊ

09 FEB 20[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 991884

अध्यक्ष– न्यासीगण, न्यास व न्यास परिषद की नियुक्ति करेगें, न्यास व न्यास परिषद का अध्यक्ष सर्वसम्मति से **श्री प्रभुनाथ सिंह पुत्र स्व0 नन्दकिशोर सिंह** को आजीवन नामित किया जाता है। यह पद वंशानुगत चलता रहेगा । अर्थात अध्यक्ष के जीवन काल या त्याग पत्र के बाद, उनके पुत्र ही अध्यक्ष होगें। न्यास व न्यास परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकृत किया जाता है कि किसी भी अन्य न्यासी या सदस्य को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए हटा सकेगा और उक्त रिक्त को किसी नये सदस्य द्वारा भरेगा,जो उस समय प्रवृत्ति किसी विधि के प्रतिकूल होने पर भी यह खण्ड प्रभावी होगा । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के कार्य अग्रलिखित अन्य अनुच्छेदों में वर्णित है।

7. अध्यक्ष एवं संस्थापक न्यासीगण आजीवन सदस्य रहेगें, स्वेच्छा से लिखित त्याग–पत्र देने पर या मृत्यु होने पर इनकी सदस्यता समाप्त होगी इनके अतिरिक्त कोई भी न्यासी या सदस्य निम्नलिखित विनिर्दिष्ट घटनाओं के अपघटन पर अपने कार्यो से अवमुक्त हो जाएगा।

(अ) लिखित पर त्याग(त्याग पत्र) द्वारा

(ब) मृत्यु होने पर ।

(स) न्यास परिषद को बिना कोई समुचित कारण बताए तीन मीटिंग में अनुपस्थित होने पर।

(द) मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम होने पर ।

(य) न्यास सम्पत्ति का अपवंचन करने पर ।

(र) न्यासहित में कार्य न करने पर या उक्त उद्देश्य की पूर्ति मे प्रतिकूल कार्य करने पर।

स्टा० (14) कीमत २० रुपए नं० (7)

(14)

Rs. 20

TWENTY RUPEES

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टैम्प वेण्डर
सी०नं०114 तह० सदर-मऊ

09 FEB 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 791885

(ल) कोई विधि बाधा उत्पन्न होने पर।

8. न्यासी के उद्देश्य के अग्रसरण में अपना नियम व उपविधि बनाएगें।

(अ) न्यास का कार्य न्यास के नियमों या प्रस्ताव के अनुरूप बुलाई गई न्यासी सभा/न्यास परिषद के बहुमत से पारित किया गया हो ऐसा प्रस्ताव के बनाए गये नियम वैसे ही प्रभावकारी व बाध्यकारी होगे जैसे कि न्यास के अध्यक्ष और दो अन्य न्यासी के द्वारा सहमति प्रपत्र होने पर होती है। ऐसा प्रस्ताव वैसे ही प्रभावकारी व बाध्यकारी होगा जैसे की न्यासी का निर्णय विधि समस्त सभा में पारित किया गया हो।

(स) न्यासी की सभा वर्ष मे कम से कम दो बार आहूत होगी और न्यास परिषद व न्यास के यह अधिकार होगा कि वह यह समय और अभिलिम्बित कर सकती हो।

(द) न्यास की सभा न्यास के कार्यालय मे या अन्य स्थान पर जहॉ अध्यक्ष को सुविधाजनक लगे या उनके द्वारा आदेशित किया गया हो आहूत होगी ।

(य) साधारणतः इसकी सूचना समय से पूर्व दी जाएगी जबकि सभी न्यासी सदस्य भारत मे मौजूद हो और सूचना सामान्य या पंजीकृत डाक से इस न्यास सदस्य के पिछले समय से पते पर भेजी जाएगी। न्यासी उसको छोड़कर जो भारत मे नही है जो प्रस्ताव मे या सूचना को किसी न्यासी के पास भेजने में बाधा उत्पन्न करेगा उससे सभा की कार्यवाही अवैध नही मानी जाएगी ।

(र) पूरी संख्या का 1/3 न्यासियों की संख्या से गणपूर्ति बनाएगें। परन्तु ऐसी गणपूर्ति किसी स्थगित सभा के लिए आवश्यक नही होगी ।

(15)

क्र० (15) कीमत २०, प्रभुनाथ सिंह S/o स्व० नन्द किशोर सिंह सा० तौजाडुतेह मद् जनपद मऊ

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार मोहर स्टाम्प
09 FEB 2016
S.T.O.

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
लाइ०नं०114 तह० सदर-मऊ

(त) सभा आधे घण्टे के भीतर सूचित समय से पहले प्रारम्भ होगी और यदि ऐसे समय मे गणपूर्ति नही है या अन्य रूप से निर्देशित है सभा अगले दिन उसी समय व स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी परन्तु स्थगित सभा केवल सूचित कार्य सूची व्यवहार मे लाएगी।

(व) न्यास को यह अधिकार होगा कि वह इस न्यास की उपसमिति गठित करेगी और उसके यह शक्तियॉ देगी जिसको वह उचित समझते है। न्यास इस परिषद समिति या उपसमिति की समाप्त कर सकती है या पुनर्गठित कर सकती है और किसी भी समय वह शक्तियॉ आहरित कर सकती है। अध्यक्ष और सचिव को यह अधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियॉ किसी अन्य न्यासी या किसी अन्य पदाधिकारी को दे सकते है।

9\. न्यास अपने नियम उपनियम या पदधारी कर्तव्यों की सुनिश्चित करते हुए बना सकती है।

(अ) **न्यास मे निम्नलिखित पद होगें–** (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5)शेष एक सदस्य होंगे। अध्यक्ष को छोड़कर शेष पदाधिकारी कुछ समय के लिये रखे जायेगें जितने समय के लिये न्यास उचित समझे वे पुर्नपदावस्थित हो सकते है। कोई व्यक्ति एक ही समय मे एक या एक से अधिक पद धारित नही कर सकता है। प्रारम्भिक सचिव संस्थापक की इच्छा से जो कि अपना पद बनाए रखेगा जब तक कि न्यासी या अध्यक्ष अन्य व्यक्ति को न्यास का सचिव न बना दें।

(ब) न्यास का अध्यक्ष सामान्यतया न्यास की मार्गदर्शित करेगा तथा उसके कार्य आदेशित या पुनरक्षित करेगा। वह न्यास से अन्य सदस्यों को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करेगा परन्तु उसके

क्र० (16) कीमत 20, क्रम नं० (15)

(16)

Rs. 20

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 793667

अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह न्याय के किसी कार्य या प्रस्ताव पर अपना निषेधाज्ञा व अपना निर्देश दे सकें।

(स) उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमानुसार मान्य होगा ।

(द) सचिव न्यास के मसौदा,अभिलेख व पंजिका व्यवस्थित करेगा और न्यास की सभा अध्यक्ष की अनुमति से बुलाएगा तथा न्यास के निर्णयों को सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करेगा वह कार्यालय व अभिलेखों का प्रभारी होगा व प्रबन्धक के पर्यवेक्षण का कार्य करेगा कि वह न्यास के किसी कार्य या प्रस्ताव पर अपना निषेधाज्ञा व अपने निर्देश दे सके।

(य) कोषाध्यक्ष सभी कोषों और सम्पत्ति का प्रभारी होगा तथा सभी दान व चन्दा एकत्रित करने के लिए अधिकृत होगा वह सभी तरह का भुगतान करेगा व लेखा बही व्यस्थित करेगा ।

(र) अन्य पदाधिकारी अपने कार्य उसी प्रकार करेगा जैसा कि न्यास या अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया हो ।

10. न्यासी के वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक न्यास की सम्पत्ति या उसके अर्जित आय से या विधि सम्मत श्रोत से मिली आय से पूरा करेगा ।

11. न्यासी अध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह न्यास के लाभ के लिए न्यास मे लिखित नियमों के अनुसार कोई भी प्रयास कर सकते है।

12. न्यासी को न्यास के अग्रसर या लाभदायी समोत्थान या उसके संचालन में सभी कार्यो को करने की पूर्ण शक्ति जो न्यास विलेख के शर्तो के अधीन होगी।

क्र० (17) कीमत २०, क्रा० नं० (15) (17)

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अनिलकुमारसिंह
14/3/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-गाजी

कोषागार मऊ
स्टाम्प 3
09 FEB 2016
C.O. — ST.O.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13(अ) न्यास इस विलेख द्वारा अधिरोपित निर्वचनां के मात्र शर्ताधीन न्यास के उद्देश्य तथा प्रयोजन के लिए एकमात्र एवं अनन्य रूप से न्यास सम्पत्ति से प्राप्त सम्पूर्ण आय का न्यासी उपयोजन करेगे और विधि किसी समय जहाँ यह सम्भव नही है ऐसे सम्पूर्ण आय के लिए वे निधि का संचय करेगे और न्यास सम्पत्ति किसी भी वर्ष में समाप्त नही होगी तथा न्यासी प्रयोजन के लिए सभी विधिक और परिनियमित औपचारिकताओं का पालन करेगें।

(ब) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त न्यासीगण न्यास सम्पत्ति का उपभोग स्वयं के लिए नही करेगें न्यास के उद्देश्य के अग्रसरा के लिए और न्यास के हित में न्यास की पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग या किसी भी तरह की अस्तित्वों या न्यासी किराया,पट्टा बेचना या विनियम या इसी प्रकार का आदान प्रदान करने के हकदार होगें।

14. न्यासीगण न्यास के प्रयोजनों के लिए भूमि,भवन,चल,अचल,सम्पत्ति जो न्यास की कार्य मे किस तरह समाहित हो सके क्रय या पट्टा या अन्य विधि सम्मत तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

15. न्यासी न्यास सम्पत्ति या न्यास के प्रयोजनों के लिए निर्मित या अर्जित भवन परिसर या उसके किसी भाग भूमि या भवन भूमि जो न्यास मे निहित है को किराया पर दे सकते है उप पट्टा समुपयोग के अधिकार को किसी रियायत या अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार के किराये का स्वामित्व किसी व्यक्ति को वर्ष दर वर्ष या ऐसी शर्तो पर वर्षो के लिए जैसा कि उपयुक्त समझे अन्य शर्तो पर दे सकते है और किराया या स्वामित्व न्यास सम्पत्ति के किसी भाग से ग्रहण करे तथा तद्नुसार लागू होगा ।

क्र० (18) कीमत 20 ग्राम नं० (15)

(18)

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अनिल कुमार सिंह (हस्ताक्षर)
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०नं० 114 तह० सदर-मऊ

कोषागार मऊ
स्टाम्प
C.O. मऊ
ए.T.O. मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 791809

16. न्यासी किसी भी समय यदि वे यह मानते है कि न्यास हित में आवश्यक है कि न्यास हित मे लिए किसी शर्त पर अन्यथा वह उचित समझते है कि किसी बन्धक पर ऋण आवश्यक है ले सकते है ।

(अ) न्यासी न्यास के किसी विशेष या सामान्य उद्‌देश्य के पूर्ति हेतु अनुदान अंशदान और अभिदान उपहार न्यास के नाम पर या अन्य तरीके से किसी व्यक्ति निगम संस्था राज्य या किसी देश के केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी अन्य न्यास संस्था के रूप मे या अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण और ऐसे सभी तरीकों से जैसे की सोना चॉदी के रूप मे धन आभूषण यंत्र कार्यशाला उद्योग चालू समुत्थान भण्डार कच्ची सामग्री या उसके बने पदार्थ स्वात्वधिकार अधिकार अनुज्ञप्ति अधिकार अनुज्ञप्ति लाभदायी जानवरों को रियासत और सभी प्रकार स्थाई व अस्थाई सम्पत्तियॉ स्वीकार कर सकते है। परन्तु तथापि न्यासी बिना कोई कारण बताएं स्वविवेक से. ऐसे किसी भी दान या निर्माण की स्वीकार करने से मना कर रहे है। ऐसे सभी प्रकार के अंशदान या दान किसी प्रकार की स्थाई या अस्थाई जो भी हो न्यासी द्वारा प्राप्त किए जायेगें जो न्यास सम्पत्ति को कार्य व भाग होगी ।

(ब) ऐसा दान या अनुदान किसी न्यासों द्वारा स्वीकार की गयी तो वह ऐसा बरता जाएगा जैसा कि उसके खर्च और व्यय के सम्बन्ध में न्यास विलेख के शर्तो व नियमों के अनुसार हमेशा निर्णय द्वारा पुष्ट किया जाएगा ।

17. न्यासी के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी भी स्थाई सम्पत्ति या न्यास निधि की उपलब्धियॉ या उसकी आय को गिराए नवीनीकरण पुनर्निर्माण, परिवर्तन संवर्धन विकास या मरम्मत जैसाकि वह उचित समझते हो कर सकते है। न्यासी किसी सम्पति मे हितबद्ध व्यक्ति या स्वामी के साथ

क्र० 19 कीमत 20, स्टा० नं० 15

(19)

Rs. 20

TWENTY RUPEES

अनिल कुमार सिंह
14/3/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
लाइ०नं०114 तह० सदर-मऊ

कारागार मऊ
स्टाम्प 3
दि० 09 FEB 2016
C.C. मऊ — Sr.T.O. मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 791590

करार या अभिसमय और निवर्बन्धनों या अन्यथा और अन्य सम्पत्ति मे समाविष्ट सम्पत्ति के लाभ के लिए या ऐसी अन्य सम्पत्तियाँ जैसा वे समय–समय पर उचित समझे उनके पूर्णतः विवेकाधीन हो सकती है करने हेतु भी अधिकृत होगें।

18. न्यासीगण किसी परिसर जो न्यास निधि में समाविष्ट है के विरुद्ध फर्म द्वारा हानि ज्वलनशील या सिविल अशान्ति या अन्य जोखिम या हॉनियों के बीमा हेतु भी शक्ति रखेगें जैसा कि न्यासीगण समय–समय से उचित समझते हो। न्यासीगण को यह भी अधिकार होगा कि समय–समय पर उचित समझते हो। न्यासीगण को यह भी अधिकार होगा कि समय समय पर सभी भाड़ों,करों व अन्य निर्गमियों और परिधि के बाहर के खर्चे और स्थाई सम्पत्तियों के लाभों से अधिशेष को समाप्त करेगा। ऐसी राशियां या धन जिसे न्यासीगण उचित विचार द्वारा भारी पुर्ननिर्माण अवक्षरण के प्रयोग द्वारा ऐसी राशि जो भारी पुनर्निर्माण के खर्च या अवधारण के लिए प्रयोग द्वारा या विशेष निधि और उसके प्रयोग मे और भारी पुर्ननिर्माण के लिए अन्य आय पुनसंवर्धन के लिए या अस्थाई सम्पत्ति के लिए नवीनीकरण या नये भवन के निर्माण के लिए खर्चे उसी प्रकार से किए जाऐगें जैसा कि न्यासीगण विचार करके खर्च करने हेतु अधिकृत किए हो।

यह भी विधि सम्मत होगा कि वह किसी धर्मादा प्रणाली या अन्य धर्मादा उद्देश्य के लिए या किसी अस्थाई सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति की उपलब्धियों को धारित प्रयोग और उपभोग की अनुज्ञा देगा । न्यासीगण की ऐसी शर्त जिसे वह उचित समझते है कि कर्मचारीगण या न्यास के किसी कर्मचारी या

क्र० (20) कोपिया 20, क्रा० नं० (15)

(20)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सलाहकार को या उसके किसी अन्य भाग अनुज्ञात करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

19.(अ) न्यासीगण वर्ष में एक बार न्यास से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियों उत्तरदायित्वों एवं प्राप्त आगमनों एवं न्यय में उपगत व्ययों की एक लेखा विवरणी रखेगें। ऐसी लेखा विवरणी का परीक्षण सम्परीक्षा और प्रमाणीकरण न्यासीगण द्वारा होगा। या ऐसा चार्टड अकाउण्टेन्ट द्वारा जिसे न्यासीगण समय–समय पर ऐसी पारिश्रमिक या अन्य रीति से जैसा कि निर्णय ले नियुक्ति कर सकते है। इन वार्षिक सम्परिक्षित लेखों का विवरण जैसे ही तैयार हो न्यासीगण द्वारा तुरन्त हस्तान्तरित एवं स्वीकृत होगें

(ब) न्यास की सभी लेखा पुस्तकों को न्यास के मुख्य कार्यालय या अन्य किसी ऐसे स्थान पर जहा न्यासीगण निर्णीत करें रखी जाएंगी ।

20. (अ) न्यासीगण किसी व्यक्ति जो ऐसे वेतन पर या सम्मानित सचिव या प्रबन्धक और अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण जो न्याय के लेखा पुस्तकों की विलिखित एवं संरक्षित करें तथा पत्र संव्यवहार करें तथा व्यास के कार्यो को अग्रसारित करने मे जो भी अन्य कार्यालय के कार्य हो उसके सम्पादन करने के लिए न्यासीगण ऐसी किसी वेतन पर नियुक्त कर सकते है जैसा कि वे उचित समझते हो संस्थापक न्यासीगण के अतिरिक्त न्यासियों को न्यास की सेवा से किए कार्यों के लिए वेतन भुगतान भी किया जा सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे ।

क्र० (21) कीमत 20, रजि० नं० (15)

(21)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016

निल कुमार सिंह स्टेम्प वेण्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रू.20

भारत

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(ब) यदि न्यास परिषद का कोई सदस्य या पदाधिकारी न्यास द्वारा विज्ञाप्ति पद पर कार्य करने की योग्यता रखता हो तो उसे नियुक्ति मे वरीयता दी जायेगी तथा न्यास परिषद द्वारा निर्धारित वेतनमान उसे देय होगा ।

21. अध्यक्ष को किसी आपातकाल स्थिति मे निम्नलिखित नियम बनाने का अधिकार होगा जो इस विषय पर बनाए गये किसी नियम के अधीन होगा ।

(अ) न्यास को किसी सभा करने के लिए 24 घण्टे की सूचना देना ।

(ब) न्यास की पूर्व मंजूरी के प्रत्याशा मे रू0 50000 से अधिक खर्च न करने हेतु अधिकृत होगा ।

(स) न्यास की पूर्व मंजूरी के प्रत्याशा में किसी भी कार्य को कर सकेगा।

(द) न्यास के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अधिकृत होगा ।

परन्तु उपर्युक्त वर्णित समव्यवहारों के लिए यह हमेशा आवश्यक होगा कि उक्त समव्यवहारी को 3 माह के अन्तर्गत न्यास के अनुमोदन हेतु तुरन्त न्यास की सभा में रखा जाएगा ।

22. न्यास की परिसम्पत्तियों का उपभोग केवल न्यास के उद्देश्यों के प्रति पूर्ति मे किया जाएग और न्यास के किसी परिसर के किराया के भुगतान न्यासी के रूप में कि गयी ऐसी किसी वास्तविक सेवा के लिए वेतन या अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त न्यासीगण किसी लाभ या लाभांश को न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त करने के लिए अधिकृत नही हो सकते है।

(22)

क्र० (22) कीमत 20 ग्रा० नं० (15)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला०न०114 तह० सदर-मऊ

कोषागार मऊ
स्टाम्प

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23. इस न्यास विलेख मे लिखित लक्ष्य उद्देश्य प्रयोजन और अन्य उपबन्ध विधि अनुरूप होगे इसलिए यह न्यास विलेख कभी भी निष्फल न होगा लेकिन किसी समय यदि न्यासी यह पाये कि उसकी जानकारी मे यह आता है इसका कोई भी उपलब्ध यह विधितः अवैध या विधि के प्रतिकूल है तो यह उसे कर्त्तव्य से होगा कि वह ऐसे विशेष उपबन्ध को समाप्त कर दें ताकि अन्य उपबन्ध प्रभावहीन अवैध न हो। इस न्यास मे लिए गये एक वचन शब्द जहाँ किस संदर्भ में कोई बहुबचन शब्द स्वीकृत या आवश्यकतानुसार बहुबचन शब्द विवेचन विवरचित होगें।

24. न्यास परिषद को न्यासियों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से न्यास पत्रक में इस प्रकार का संशोधन करने का अधिकार होगा कि न्यास के मूल व मूल उद्देश्यों के परिवर्तन न हो ।

25. न्यास का एक या एक से अधिक बैकों में खाता खोल सकता है। जिसका संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष करेगें।

26. न्यास का वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

27. न्यास आवश्यक लेखा पुस्तिकाएं तथा विभिन्न संव्यवहारी से सम्बन्धित अभिलेख रखेगा जो सभी न्यासीगण के निरीक्षण हेतु खुला रहेगा जो निम्न होगें।

1. न्यास सम्पत्तियों की पुस्तिका

क्र० (23) कीमत 20 [illegible] नं० (15)

(23)

आगार मऊ स्टाम्प

09 FEB 2016

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेन्डर
ला०नं०114 तह० सदर-मऊ
गवाह

Registration No.: 61 Year: 2016 Book No.: 4

W1 अनिल कुमार सिंह

मदन सिंह

ताजोपुर मु०बाद मोहना सदर मऊ

कृषि

W2 वीरेन्द्र सिंह

व्यासी सिंह

डुमरांव मु०बाद मोहना सदर मऊ

कृषि

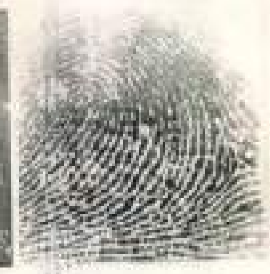

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 791894

2. सभा के कार्य सूची तथा मसौदा को पुस्तिका
3. निर्गम/आगम एवं सम्प्रेषण पुस्तिका ।
4. दैनिक वही रोजनामचा ।
5. लेखा पुस्तिका/ रोकड़ वही ।
6. समय समय पर न्यासीगणों के नाम व पतों का अभिलेख ।
7. अन्य ऐसे अभिलेख तथा फाइलें जैसा आवश्यक हो ।

28. सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी यदि ऐसा संस्थापक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित है और इसकी अनुपस्थिति में अन्य पदाधिकारी द्वारा जिसे न्यास परिषद द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है के हस्ताक्षर से यथा रीति संविदा में प्रवेश करेगें जो पूर्व में विनिर्मित विनियमों के शताधीन होगा ।

29. न्यास द्वारा कोई वाद संचिव के नाम से ही संस्थिति (दाखिल) किया जाएगा और न्यास के विरूद्ध कोई वाद सचिव के नाम से ही लाया जाएगा तथा न्यास सम्बन्धित किसी विवाद का क्षेत्राधिकार मऊ में ही होगा ।

30. न्यास की क्षतिपूर्ति मे जहॉ पदाधिकारीगण द्वारा या न्यासीगण द्वारा उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन मे किए गये सदभावपूर्व कार्यो से उत्पन्न क्षति उपगति खर्चे और समस्त अधिकार हेतु न्यास उत्तरदायी होगा कोई न्यासी या पदाधिकारी किसी अवचार,उपेक्षा या न्यास के लिए उत्तरदायी नही होगा और वह स्वयं के अतिरिक्त किसी पदाधिकारी या अन्य सहन्यासी की तरफ किसी

क्र0 (24) कीमत 20 शीट नं0 (15) (24)

अनिल कुमार सिंह
14/7/2016
अनिल कुमार सिंह स्टाम्प वेण्डर
ला0नं0114 तह0 सदर-मवासी

Registration No.: 61 Year: 2,016 Book No.: 4

0101 प्रभुनाथ सिंह

नन्दकिशोर सिंह

ताजोपुर मु0 [illegible] मोहला सदर मऊ

डाक्टर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 782264

अवचार, या उपेक्षा या न्यास भंग के लिए उत्तरदायी नही होगा सिवाय उसके लिए वह उसके अपने लिए इच्छित अवधार या संदोष उपेक्षा से किया हो ।

31. यदि किसी कारणवश अथवा परिस्थितिवश न्यासी परिषद द्वारा न्यास का विघटन किया जाता है तो न्यास सम्पत्ति मे से न्यास के ऊपर सभी ऋणों के भुगतान करने के पश्चात जो कुछ अवशेष होगा उसे न्यास के सदस्यों में वितरित नही किया जायेगा । बल्कि उसे समान उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली संस्था अथवा सस्थाओं को दे दिया जायेगा ।

32. न्यासी अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि पदाधिकारी को प्राप्त (चल/अचल) सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। इसमें न्यासी के किसी सदस्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा।

32. इस उपरोक्त न्यास पर न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होगें। इस न्यास विलेख निम्नलिखित गवाहों के समक्ष उपरोक्त तिथि एवं वर्ष में हस्ताक्षरित करते है।

(25)

प्रभुनाथ सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह

ताजोपुर

STAMP

JUN 2016

C.O.

मऊ

वास पत्र

10,001.00	220.00	140	360.00	54
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री प्रभुनाथ सिंह
पुत्र श्री नन्दकिशोर सिंह
व्यवसाय डाक्टर
निवासी स्थायी ताजोपुर मुबाद गोहना सदर मऊ
अस्थायी पता ताजोपुर मुबाद गोहना सदर मऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/7/2016 समय 4:14PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल
उप निबन्धक सदर
मऊ
16/7/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री प्रभुनाथ सिंह
पुत्र श्री नन्दकिशोर सिंह
पेशा डाक्टर
निवासी ताजोपुर मुबाद गोहना सदर मऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान अनिल कुमार सिंह
मदन सिंह
पेशा कृषि
निवासी ताजोपुर मुबाद गोहना सदर मऊ

व बीरेन्द्र सिंह
ज्ञानी सिंह
पेशा कृषि
निवासी डुमराव मुबाद गोहना सदर मऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

दूसरी Pan AKJ?S0222R गवाह Pan BDQPK89520B 2-ID-AZT0105502

हस्ताक्षर-
पवन कुमार श्रीवास्तव (निबन्धन लिपिक)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल
उप निबन्धक सदर
मऊ
16/7/2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 782246

स्थान – मऊ

टाइपकर्ता – विजय मौर्या, मौर्या फोटो स्टेट – मऊ

मसविदाकर्ता

दिनांक–

साक्षी– (1)

(2)

मो.- 8417975656

संस्थापक

श्री

ग्राम– ताजोपुर

पो0– ताजोपुर

जनपद – मऊ

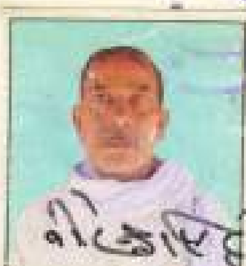

(26)

STAMP

आज दिनांक 16/07/2016 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 38

पृष्ठ सं. 149 से 202 पर क्रमांक 61

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल

उप निबन्धक सदर

मऊ

16/7/2016